

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी, पुरवा उन्नाव

वाद सं०-67/07-08

अन्तर्गत धारा - 143 यू०पी०जेड०ए० एण्ड एल०आर०एक्ट

ग्राम- ऊँचगांव किला, तहसील पुरवा

जिला - उन्नाव।

श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, पुरवा उन्नाव

बनाम

उ०प्र० सरकार

न्याय निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय पुरवा उन्नाव द्वारा प्रबन्धक श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री विश्राम लाल निवासी, पुरवावाँ, हेरवल हरदोई के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.11.07 पर प्रारम्भ की गयी। वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि ग्राम ऊँचगांव की खतीनी खाता सं०-107, 310 पर अंकित गाटा सं०- 257 व 228 का क्रमशः क्षेत्रफल 0.606 हे० व 1.489 हे० क्षेत्रफल कुल रकबा 2.095 हे० के संक्रमणीय भूमिधर/स्वामी/काबिज व दखील है उक्त भूमि कृषि कार्य के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, ऐसी दशा में भूमि का उपयोग अकृषक/आवासीय/वाणिज्यिक दर्ज कराना चाहता है, ताकि उसका आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर सकें।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार पुरवा उन्नाव से कराई गयी। तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 04.01.08 प्रेषित करते हुए उल्लिखित किया है कि ग्राम ऊँचगांव किला परगना व तहसील पुरवा जिला उन्नाव की खाता संख्या-101 व 310 पर अंकित गाटा संख्या 257 व 228 का क्षेत्रफल 0.606 व 1.489 क्षेत्रफल कुल रकबा 2.095 हे० का वादी श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, पुरवा उन्नाव द्वारा प्रबन्धक श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री विश्राम लाल निवासी हेरवल, पुरवावाँ, हेरवल हरदोई के संक्रमणीय भूमिधर है, उपयुक्त अंकित आराजी पर वर्तमान में भोके पर महाविद्यालय का परिसर है जो बाउण्ड्री से घिरा है जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही कृषि कार्य/बागवानी/कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन हो रहा है। तहसील आख्या में उक्त भूमि का अकृषक/आवासीय/वाणिज्यिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है आख्या के साथ यू०पी०जेड०ए० एल०आर० एक्ट के नियम 135 के अन्तर्गत सूचना/विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा वादी पक्ष को सुना। पत्रावली पर प्रस्तुत आख्या दिनांक 04.04.08 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर कृषि कार्य/बागवानी/कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है एवं भूमि पर अकृषक गतिविधियां विद्यमान हैं। उक्त भूमि को यू०पी०जेड०ए०एण्ड ए०आर० एक्ट की धारा-43 के अन्तर्गत अकृषक/आवासीय घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम ऊँचगांव किला परगना व तहसील उन्नाव की खतीनी वर्ष 1412 से 1417 फ० की खाता सं०-101 व 310 पर अंकित गाटा सं०-257 व 228 रकबा 0.606 व 1.489 हे० क्षेत्रफल कुल रकबा 2.095 हे० की यू०पी०जेड० एण्ड एल०आर० एक्ट की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषक/आवासीय घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दराभ्य जारी हो। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार पुरवा व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सूचनार्थ भेजी जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व दफ्तर की जाये।

दिनांक : 16.01.08

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार पुरवा उन्नाव से कराई गयी। तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 04.01.08 प्रेषित करते हुए उल्लिखित किया है कि ग्राम ऊँचगांव किला परगना व तहसील पुरवा जिला उन्नाव की खाता संख्या-101 व 310 पर अंकित गाटा संख्या 257 व 228 का क्षेत्रफल 0.606 व 1.489 क्षेत्रफल कुल रकबा 2.095 हे० का वादी श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, पुरवा उन्नाव द्वारा प्रबन्धक श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री विश्राम लाल निवासी हेरवल, पुरवावाँ, हेरवल हरदोई के संक्रमणीय भूमिधर है, उपयुक्त अंकित आराजी पर वर्तमान में भोके पर महाविद्यालय का परिसर है जो बाउण्ड्री से घिरा है जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही कृषि कार्य/बागवानी/कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन हो रहा है। तहसील आख्या में उक्त भूमि का अकृषक/आवासीय/वाणिज्यिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है आख्या के साथ यू०पी०जेड०ए० एल०आर० एक्ट के नियम 135 के अन्तर्गत सूचना/विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

(आशीष शुक्ला)

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/
उपजिलाधिकारी पुरवा उन्नाव

दिनांक 16.01.08

श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय
पुरवा, उन्नाव

न्याय निर्णय

न्याय निर्णय

न्याय निर्णय

न्याय निर्णय